तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर – 59/2017 श्रीमती लाडो बनाम हाथी राम वगैरह प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
31.01.2018	आज यह पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम दोरासर तह तहसील झुंझुनू में गत खसरा न. 42 रकबा 22 बिघा 5 बिश्वा जिसके हाल खसरा न. 157 रकबा 0.90 है0, खसरा न. 158 रकबा 1.15 है0, खसरा न. 159 रकबा 0.58 है0, खसरा न. 160 रकबा 0.57 है0, खसरा न. 161 रकबा 0.59 है0 व खसरा न. 162 रकबा 1.83 है0 कुल रकबा 5.62 है0 व खाता सख्या 315 में स्थित है। जिसमें खातेदार व काश्तकार आवेदिका व अनावेदकगण 1 लगायत 8 है। आवेदिका का 2/9 हिस्सा अनावेदक न. 1 का 2/9 हिस्सा, अनावेदक न. 2 का 0.57 है0 अनावेदकगण 3 का 0.57 है0 प्रतिवादिया न. 4 का 1/6 हिस्सा व अनावेदकगण न. 5 लगायत 8 का 1.75 है0 हैं जिस पर आवेदिका व अनावेदिका न. 1 लगायत 8 काबिज है। अपने हिस्से अनुसार काश्त करते हैं। यह कि आवेदिका का प्रथम दृष्टया पेश होकर अनावेदक न. 1 लगायत 12 आवेदिका को उनके कब्जा काश्त व हक अधिकारों की भूमि से बेदखल करना चाहते है। अगर अनावेदकगण न. 1 लगायत 12 उक्त उद्देश्य में सफल होते है तो आवेदिका को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई जराय नगद में नही की जा सकती। उक्त तथ्यों के साथ प्रार्थना–पत्र पेश कर अनावेदकगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना–पत्र बाबत दिनांक 20.12.2017 को वकील पक्षकारान बहस सुनी गई वकील आवेदक ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र आवेदिका का स्वीकार कर अनावेदकगण को ताफैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है। इसके तर्क में अनावेदक संख्या 1, 9, 11, 13 व 14 के वकील ने जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र आवेदिका का मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 05.07.2017 का अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः **आदेश** आवेदिका का यह प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 जा0दी0 व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तांकि विचाराधीन वाद में अनावश्यक वादकारण एवं पेचीदगियां उत्पन्न न हो। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 को ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है, कि वह विवादित आराजी खसरा न. 157, 158, 159, 160, 161, 162 कुल रकबा 5.62 है0 तथा खसरा न. 179, 248, 249, 250, 251, 252 कुल रकबा 4.44 है. वाके ग्राम दोरासर तह तहसील झुंझुनू में निर्माण नही करें, पत्थर नही डाले, पेड़ नहीं काटें, गढे नही करें, विक्रय व रहन नहीं करें व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 31.1.18 (अलका बिरनोई)